

भूपिंदर सिंह ढिल्लों और जी. सी. मित्तल न्यायमूर्ति के समक्ष

आय-कर आयुक्त, पटियाला-II, पटियाला,- अपीलार्थी।

बनाम

श्री पी. बी. नंदा , रोहतक,-प्रतिवादी।

आयकर संदर्भ सं. 93 / 1975

15 अप्रैल, 1980।

आय-कर अधिनियम (1961 का XLIII) - धारा 140-ए, 215 (5) और 273 (ए) -धारा 140-ए के तहत स्व-मूल्यांकन पर भुगतान किया गया कर - इस तरह का क्रेडिट भुगतान -- क्या धारा 273 (ए) के तहत देय दंड की राशि निर्धारित करने में किसी निर्धारिती को दिया जा सकता था।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 215 (5) में दी गई "निर्धारित कर" की परिभाषा को पढ़ने से पता चलता है कि धारा 273 (ए) के तहत किए गए चूक पर जुर्माने की गणना के उद्देश्य से निर्धारित कर का अर्थ नियमित मूल्यांकन के आधार पर ऐसा निर्धारित कर है जो धारा 192 से 194, धारा 194-ए, धारा 194-सी, धारा 194-डी और धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार अनुमेय कटौती द्वारा कम किया जाता है। यह परिभाषा न केवल धारा 215 (5) के प्रयोजनों के लिए बल्कि धारा 217 और 173 के प्रयोजनों के लिए भी उपयुक्त है, जिसका अर्थ है ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार नियमित निर्धारण के आधार पर निर्धारित कर। यदि विधायिका धारा 140-ए के तहत स्व-मूल्यांकन पर भुगतान की गई राशि को शामिल करना चाहता है, तो अधिनियम की धारा 215 (5) में ऐसा कहा गया होगा। धारा 140-ए को शामिल करने में चूक यह दर्शाती है कि अग्रिम कर के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद भुगतान की गई किसी भी चीज़ को निर्धारित कर की गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जिस पर जुर्माना देय है। मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए अधिनियम की धारा 273 (ए) के तहत

जुर्माना केवल भुगतान किए गए अग्रिम कर और स्रोत पर काटे गए कर के लिए क्रेडिट देने के बाद मूल्यांकन पूरा होने पर देय शुद्ध कर के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए, लेकिन अधिनियम की धारा 140-ए के तहत स्व-मूल्यांकन पर भुगतान किए गए कर के लिए नहीं।

(पैरा 4, 5 और 7)।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (दिल्ली पीठ) द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 256 (1) के तहत इस माननीय न्यायालय को उसके द्वारा ITA No. 946 / 1972-73, आकलन वर्ष 1968-69 में पारित आदेश, दिनांक 28 दिसंबर, 1973 से उत्पन्न कानून के निम्नलिखित प्रश्नों पर राय के संदर्भ में ।

“क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में न्यायाधिकरण को यह अभिनिर्धारित करने में उचित ठहराया गया था कि जुर्माना धारा 273(क) आई. टी. अधिनियम, 1961 के अनुसार, क्या वह न केवल भुगतान किए गए अग्रिम कर और स्रोत पर काटे गए कर के लिए, बल्कि आई. टी. अधिनियम 1961 की धारा 140-ए के तहत स्व-निर्धारण पर भुगतान किए गए कर के लिए भी क्रेडिट देने के बाद निर्धारण पूरा होने पर देय शुद्ध कर के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए?”

डी. एन. अवस्थी, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ।

एस. सी. कपूर, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता

निर्णय / फैसला (न्याय)

न्यायमूर्ति गोकल चंद मित्तल,

1. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली पीठ 'बी' ने हमारी राय के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न को संदर्भित किया है:-

“क्या, तथ्यों और मामले (मुकदमा) की परिस्थितियों पर, न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करते हुए न्यायसंगत ठहराया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 273 (ए) के तहत जुर्माना, न केवल भुगतान किए गए अग्रिम कर और स्रोत पर काटे गए कर के लिए, बल्कि आयकर अधिनियम, 1961 की

धारा 140ए के तहत स्व-निर्धारण पर भुगतान किए गए कर के लिए भी क्रेडिट देने के बाद निर्धारण पूरा होने पर देय शुद्ध कर के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए?” *

2.अपीलीय सहायक आयुक्त आयकर, 'ए' रेंज, रोहतक ने निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 273 (ए) के तहत निर्धारिती पर जुर्माना लगाया। उस आदेश के खिलाफ, निर्धारिती ने आयकर अपीलकर्ता न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद न्यायाधिकरण कहा जाता है) के समक्ष अपील दायर की, और न्यायाधिकरण ने 28 दिसंबर, 1973 के आदेश द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि देय शुद्ध कर की गणना में, भुगतान किए गए अग्रिम कर और स्रोत पर काटे गए कर के लिए क्रेडिट देने के अलावा, अधिनियम की धारा 140ए के तहत स्व-मूल्यांकन पर भुगतान किए गए कर को जुर्माना लगाने के उद्देश्यों के लिए बाहर रखा जाना चाहिए। आयकर आयुक्त ने कानून के प्रश्न पर एक संदर्भ मांगा जो ऊपर उल्लिखित किया गया है।

3.न्यायाधिकरण ने हमारे समक्ष इस मुद्दे पर विचार करते हुए 28 दिसंबर, 1973 के अपने आदेश में इस प्रकार कहा है:—

“हालाँकि, जुर्माना न केवल भुगतान किए गए अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती के लिए क्रेडिट देने के बाद आकलन के पूरा होने पर देय शुद्ध कर के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए, बल्कि धारा 140 ए के तहत स्व-मूल्यांकन पर भुगतान किए गए कर के लिए भी लगाया जाना चाहिए।जुर्माने को धारा 273 में निर्धारित वैधानिक राशि के 10 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए क्योंकि यह पहले बताए गए तर्ज पर 1 अप्रैल, 1968 को लागू था।”

4. राजस्व की ओर से पेश हुए श्री डी. एन. अवस्थी ने कहा कि न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 273 (ए) के तहत जुर्माना लगाने के उद्देश्यों के लिए देय शुद्ध कर की गणना में अधिनियम की धारा 140ए के तहत स्व-मूल्यांकन पर भुगतान किए गए कर को हटाने का आदेश देने में कानून में गंभीर गलती की है। इस तर्क पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने आग्रह किया है कि "निर्धारित कर" को अधिनियम की धारा 215 (5) में परिभाषित किया गया है और धारा 215 (5) को पढ़ने से पता चलता है कि "निर्धारित कर" की परिभाषा न केवल धारा 215 (5) के उद्देश्यों के लिए अच्छी है, बल्कि धारा 217 और 273 के उद्देश्यों के लिए भी अच्छी है, जिसका अर्थ है कि नियमित मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित कर (धारा 192 से 194, धारा 194-ए, धारा 194सी, धारा 194डी और धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार कटौती योग्य कर की राशि से घटाया गया है, जहां तक ऐसा कर अग्रिम कर के अधीन आय से संबंधित है। इसलिए, उनके अनुसार, निर्धारित कर को भुगतान किए गए अग्रिम कर और उपरोक्त धाराओं के तहत अनुमत कटौती द्वारा कम किया जाना चाहिए, जो ज्यादातर स्रोत पर कटौती हैं और स्व-मूल्यांकन के माध्यम से कर के भुगतान को बाहर नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 273 को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें "निर्धारित कर" की परिभाषा का संदर्भ है, जैसा कि अधिनियम की धारा 215 (5) में निहित है और इसलिए, धारा 273 के प्रयोजनों के लिए, उक्त परिभाषा पूरी तरह से लागू होगी। श्री अवस्थी ने आगे आग्रह किया है कि धारा 273 और 215 (5) को पढ़ने से कोई अन्य दृष्टिकोण संभव नहीं है और न्यायाधिकरण ने कोई कारण नहीं बताया है कि स्व-मूल्यांकन के तहत भुगतान किए गए कर को क्यों बाहर रखा जाना चाहिए।

5. इस योजना से, अधिनियम, यह साफ है ! आय कर को स्रोत पर निर्धारित किया जाता है, या इसका अग्रिम भुगतान किया जाता है, जिसे अग्रिम कर के रूप में जाना जाता है, जिसकी अंतिम तिथि लेखा-वर्ष के मार्च महीने के अंत तक होती है, और अगली तारीख स्व-मूल्यांकन पर कर का भुगतान है, यानी रिटर्न के साथ, जिसके लिए नियत तारीख जून के अंत से जुलाई के अंत तक भिन्न हो सकती है, जो लेखा-वर्ष के बाद होगी, यानी लेखा-वर्ष की समाप्ति के बाद और कम से कम निर्धारण वर्ष के पहले तीन महीनों के भीतर । इन सभी चरणों के लिए, अलग-अलग विचार प्रचलित हैं और धारा 275 (5) के साथ धारा 273 का अध्ययन दर्शाता है कि धारा 273 (ए) के तहत किए गए चूक पर जुर्माने की गणना के प्रयोजनों के लिए, निर्धारित कर का अर्थ नियमित मूल्यांकन के आधार पर ऐसा निर्धारित कर है जो धारा 192 से 194, धारा 194 ए, धारा 194 सी, धारा 194 डी और धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार अनुमेय कटौती द्वारा कम किया गया है और आगे अग्रिम कर के अधीन है। यदि विधानमंडल / विधायिका धारा 140ए के तहत स्व-मूल्यांकन पर भुगतान की गई राशि को शामिल करना चाहता है, तो अधिनियम की धारा 215 (5) में ऐसा कहा गया होगा । धारा 140ए को शामिल करने में चूक स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अग्रिम कर के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद भुगतान की गई किसी भी चीज़ को निर्धारित कर की गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जिस पर जुर्माना देय है।

6. अधिनियम की धारा 140ए का मामले / मुकदमा के इस पहलू से कोई लेना-देना नहीं है और इसमें केवल आत्म-मूल्यांकन का प्रावधान है। यदि देय कर का भुगतान विवरणी के साथ नहीं किया जाता है, तो उप-धारा (3) के तहत निर्धारित जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। लेकिन, इस दंड का अधिनियम की धारा 273 (ए) के तहत किए गए चूक के लिए दंड लगाने से कोई लेना-देना नहीं है।

7. निर्धारिती के वकील एक अलग दृष्टिकोण रखने के लिए कोई उचित तर्क नहीं दे सके और इसलिए, हम पाते हैं कि न्यायाधिकरण ने यह निर्देश देने में गलती की थी कि धारा 140ए के तहत स्व-मूल्यांकन पर भुगतान किए गए कर को बाहर रखा जाना चाहिए या जुर्माना लगाने के उद्देश्यों के लिए निर्धारित कर की गणना में निर्धारिती को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए।

8. तदनुसार, हम नकारात्मक में प्रश्न का उत्तर देते हैं, अर्थात्, राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ और यह मानते हैं कि अधिनियम की धारा 273 (ए) के तहत जुर्माना केवल भुगतान किए गए अग्रिम कर और स्रोत पर काटे गए कर के लिए क्रेडिट देने के बाद निर्धारण पूरा होने पर देय शुद्ध कर के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए, लेकिन अधिनियम की धारा 140 ए के तहत स्व-मूल्यांकन पर भुगतान किए गए कर के लिए नहीं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

न्यायमूर्ति भूपिंदर सिंह दिल्ली, - मैं सहमत हूँ।

एच. एस. बी

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

राजीव शर्मा
31161G
ट्रांसलेटर